छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2010
(फाल्गुन-21, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 08, 11 से 16 एवं 18 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 04, 09, 10 एवं 17 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री दूजराम बौद्ध, रामदयाल उइके, खेदूराम कश्यप एवं डॉ.शक्राजीत नायक अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. व्यवस्था

प्रश्नकाल में प्रश्नकर्त्ता सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष ने अपेक्षा की की बिना अत्यावश्यक कारण के माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ-सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखी।

माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची के पद क्रमांक 3 पर कार्यवाही प्रारंभ करने की घोषणा के साथ ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ रायगढ़ जिले में हुए एक बालिका के अपहरण तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग तथा नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि, इस संबंध में माननीय श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की ओर से इस विषय पर स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की सूचना दिनांक 11.3.2010 को एक साथ प्रातः 8.00 बजे प्राप्त हुई। चूंकि विषय स्थगन योग्य नहीं है अतः मैंने स्थगन को अग्राह्य कर दिया और ध्यानाकर्षण की सूचना को ग्राह्य किया है। आज 20 सदस्यों ने पुनः इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ये सूचनाएं प्रथम अवसर पर प्राप्त नहीं है, साथ ही स्थगन योग्य नहीं है। अतः मैंने इन सभी स्थगन सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया है तथा ध्यानाकर्षण सूचना ग्राह्य की हैऔर आपको अवसर दिया है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आसंदी से व्यवस्था के पश्चात् भी निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी करते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः उनके द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लेख करते हुए माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग देने का आग्रह किया गया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे 05 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.36 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः कानून व्यवस्था की स्थिति की ओर अपनी बातें रखते हुए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया गया।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची में ध्यानाकर्षण सूचना में अंकित प्रथम अंकित ध्यानाकर्षण सूचना के सदस्य मोहम्मद अकबर का नाम पुकारा गया।

प्रतिपक्ष के उपस्थित समस्त सदस्य निरंतर व्यवधान तथा नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, रामदेव राम, हृदयराम राठिया, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, महंत रामसुदंर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, डॉ.शिवकुमार डहरिया, चैतराम साहू, कुलदीप जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेष शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, गुरूमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, बद्रूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, भजन सिंह निरंकारी, सौरभ सिंह।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए व सदस्यों के निलंबन की अवधि पश्चात् विनिश्चित करने की सूचना दी ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) श्री मोहम्मद अकबर सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में अवैध रूप से काम्पलेक्स का निर्माण किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(4) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर संभाग मुख्यालय स्थित ट्रांसपोर्ट नगर, सेमरा में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्य की सूचना सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उस पर वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया:-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(7)	श्री देवजी पटेल

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय खाद्य मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार साहू,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दयालदास बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने का आग्रह करते हुए अनुदान मांगों की चर्चा में प्रतिपक्ष के सदस्यों की उपस्थिति को आवश्यक बताते हुए आज की कार्यवाही स्थगित कर सोमवार से अनुदान मांगों चर्चा कराने का आग्रह किया।

8. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आने पर स्वयं निलंबित हुए सदस्यों के निलंबन की अवधि आज की बैठक समाप्ति तक के लिए निर्धारित की गई है ।

अपराह्न 1.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा